

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 87-2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 17, 2022 (VAISAKHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 मई, 2022

संख्या 14939.— पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) की धारा 34 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियम, 1958, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. ये नियम पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (हरियाणा संशोधन) नियम, 2022 कहे जा सकते हैं।
- 2. पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियम, 1958 में, नियम 15 में, उपनियम (2) में, खण्ड (iv) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु खण्ड (iv) में दी गई कोई भी बात सूचना प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठानों, सूचना प्रौद्योगिक समर्थ प्रतिष्ठानों, बैंकिंग प्रतिष्ठानों, तीन सितारा या उससे अधिक सितारा होटलों, शत—प्रतिशत निर्यात ओरियन्टिड प्रतिष्ठानों तथा संभारतंत्र तथा भांडागार प्रतिष्ठानों में कार्य कर रही महिलाओं को लागू नहीं होगी, जब अधिनियम की धारा 30 के उपबंध से छूट प्रदान की जाती है।"

> डॉ० राजा सेखर वुन्द्रू, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 17th May, 2022

No. 14939.— In exercise of powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 34 of the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958 (Punjab Act 15 of 1958), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Punjab Shops and Commercial Establishments Rules, 1958 in their application to the State of Haryana, namely:-

- 1. These rules may be called the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Rules, 2022.
- 2. In the Punjab Shops and Commercial Establishments Rules, 1958, in rule 15 in sub rule (2), after clause (iv) for existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that nothing contained in clause (iv) shall be applicable to a woman working in Information Technology establishment, Information Technology enabled establishments, Banking establishments, three star or above hotels, hundred per cent export oriented establishments and Logistics and Warehousing establishments, when exemptions from provision of section 30 of the Act is granted".

DR. RAJA SEKHAR VUNDRU, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Labour Department.

9607—C.S.—H.G.P., Pkl.